



राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तराखण्ड  
State Council of Educational Research and Training, Uttarakhand

Tapovan Road, Nalapani, Dehradun  
Phone: 0135-2789655 Fax: 0135-2789656, Website: www.scert.uk.gov.in  
E-mail: scertuk@gmail.com, scert\_ua@rediffmail.com

आदेश संख्या: Prog. & Moni / 717 / VIII-1(03)-4 / 2022-23 / 2024 दिनांक 17 फरवरी, 2024  
विज्ञप्ति/पदस्थापना

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-नवसृजित, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 317/XXIV-नवसृजित/18-13(05)/2016 दिनांक 15 अक्टूबर, 2018 के अनुपालन में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून की विज्ञप्ति/आदेश संख्या: Prog. & Moni / 155 / VIII-1(03)-4 / 2021-22 / 2022 दिनांक 23 अगस्त, 2022 के द्वारा वरिष्ठ प्रवक्ता पद पर काउंसिलिंग के आधार पर निम्नांकित को उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-04 पर अंकित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में वरिष्ठ प्रवक्ता पद पर पदस्थापित किया जाता है। इस तैनाती पर सम्बन्धित को वही मूल वेतन प्राप्त होगा जो पूर्व तैनाती के पद पर प्राप्त कर रहे थे। इस हेतु पृथक से कोई अतिरिक्त वेतन या भत्ता देय नहीं होगा। सम्बन्धित अभ्यर्थी आदेश निर्गत होने के 07 दिन के भीतर अपने नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

पद का नाम – वरिष्ठ प्रवक्ता

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	वर्तमान पद एवं विद्यालय	पदस्थापन	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1.	श्री कैलाश डंगवाल	प्रधानाध्यापक, रा.उ.मा.वि. क्यारी, कालसी, देहरादून।	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हरिद्वार।	रिक्त पद के प्रति
2.	श्री ललित प्रसाद तिवारी	प्रधानाध्यापक, रा.उ.मा.वि. तुर्कागोरी, गोकुलनगर, उधमसिंहनगर।	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नैनीताल।	रिक्त पद के प्रति

(बन्दना गब्ब्याल) 17/02/24  
निदेशक,  
अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पृ0सं0 – Prog. & Moni / 10227 - 38 / VIII-1(03)-4 / 2022-23 / 2024 दिनांक-उक्तवत्।

प्रतिलिपि – निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित जनपद, उत्तराखण्ड।
6. प्राचार्य, सम्बन्धित डायट, उत्तराखण्ड।
7. खण्ड शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित विकासखण्ड।
8. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या, उत्तराखण्ड को इस आशय से कि सम्बन्धित को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
9. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. आई.टी. विभाग SCERT को इस आशय के साथ कि आज ही परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करें।
11. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रवक्ता/स0अ0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि सामान्य लोकसभा निर्वाचन 2024 में मूल कार्यरत विद्यालय से चुनाव ड्यूटी लगने पर अनिवार्यतः निर्देशानुसार ड्यूटी सम्पन्न करेंगे।
12. कार्यालय पत्रावली।

(बन्दना गब्ब्याल)  
निदेशक,  
अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।